

किशोर स्वास्थ्य समिति

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (RKSK) के सक्रिय एवं सूचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु राज्य एवं जिला स्तरीय किशोर स्वास्थ्य समिति (State/ District Committee for Adolescent Health) का गठन निम्नलिखित उपबंधों के अन्तर्गत किया जाना है।

राज्य तथा जिला किशोर स्वास्थ्य समिति झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति की उपसमिति के रूप में कार्य करेगी जिसमें 10-19 वर्ष के किशोर - किशोरियों के स्वास्थ्य हेतु आवश्यक गतिविधियों के संचालन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण का कार्य किया जाना है।

1. राज्य स्तरीय समिति

समिति का नाम - राज्य स्तरीय किशोर स्वास्थ्य समिति (State Committee for Adolescent Health)

समिति के अध्यक्ष - प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा-शिक्षा एवं परिवार कल्याण।

समिति के सदस्य / प्रतिनिधि

- स्वास्थ्य विभाग (MD, DIC, Nodal Officer & AH Consultant)
- शिक्षा विभाग
- समाज कल्याण विभाग
- राज्य AIDS कंट्रोल सोसाइटी
- नेहरू युवा केन्द्र संगठन
- Tribal Welfare
- पेयजल एवं स्वच्छता
- ग्रामीण विकास
- पंचायती राज
- गृह मंत्रालय

स्वयं सेवी संस्थाएँ/ मेडिकल कॉलेज

- IPE Global/ USAID
- UNICEF
- Psychiatrist RIMS
- Psychologist - RINPAS

बैठक की अवधि - प्रत्येक छः माह में (छमाही)

2. जिला स्तरीय समिति

समिति का नाम : जिला स्तरीय किशोर स्वास्थ्य समिति (District Committee for Adolescent Health)

समिति के अध्यक्ष - उपायुक्त

समिति के सदस्य

- स्वास्थ्य विभाग (CS, ACMO, DPM/RKSK Coordinator)

- शिक्षा विभाग
- समाज कल्याण विभाग
- राज्य AIDS कंट्रोल सोसाइटी
- नेहरू युवा केन्द्र संगठन
- Tribal Welfare
- पेयजल एवं स्वच्छता
- ग्रामीण विकास
- पंचायती राज
- गृह मंत्रालय

स्वयं सेवी संस्थाएँ

किशोर किशोरी के स्वास्थ्य से संबंधित कार्य करने वाली गैर सरकारी संस्था के प्रतिनिधि।

बैठक की अवधि – प्रत्येक तीन माह में (त्रैमासिक)

रिपोर्ट
[Signature]